न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासींन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 54/2020 दायरा दिनांक : 15/09/2020

उनवान

1– जसवन्त पुत्र जगदीश, जाति राव, निवासी पायली, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1– सुशीला कुमारी पत्नी स्व0 महेन्द्र कुमार, जाति महाजन, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर जिला झालावाड

2– विरेन्द्र कुमार आत्मज स्व0 महेन्द्र कुमार, जाति महाजन, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर जिला झालावाड

3– प्रतिभा कुमारी पुत्री स्व0 महेन्द्र कुमार जाति महाजन, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसील खानपुर जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री पंकज मिश्रा एवं श्री रघुवीर यादव अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल एवं श्री ए के जैन अभिभाषक

रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 19.01.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 842/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था जिसमें कथन किया कि ग्राम समरोल, तहसील खानपुर की पुराने खसरा नम्बर 56, 105, 102 रकबा 37 बीघा जिसके बाद बन्दोबस्त नये खसरा नम्बर 207, 214, 280 रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा कायम किये गये उक्त भूमि हजारी लाल आत्मज पुत्र बिजयपाल उर्फ विजय सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी पायली के खाते दर्ज थी । हजारी लाल बचपन से ही रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 के पास निवास किया उन्होंने ही पालना पोषण किया उन्होंने ही उक्त भूमि हजारी लाल के निशुल्क खाते दर्ज करवायी, जिसकी वसीयत हजारी लाल ने दिनांक 23.05.1987 को रेस्पोडेंट वादनी के नाम आलेखित की । हजारी लाल का देहावसान दिनांक 08.11.1988 को हो गया और हजारी लाल की मृत्यु के बाद वादनी उक्त भूमि की खातेदार हो गयी । प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 2 व 3 जो वादिनी के पति व पुत्र हैं के खिलाफ वाद पेश कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.07.2020 को पत्रावली पेशी पर लेकर उसी दिन इकबाली जवाबदावा लिया, वादिनी व अन्य दो गवाह के बयान लेकर दिनांक 23.07.2020 को दावा डिक्री कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त

(अरविन्द लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

सिद्धि के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वसीयत पेश की गई है वह फर्जी व बनावटी है । सन् 1985 में 50 पैसे के स्टाम्प नहीं मिलते थे तथा जो स्टाम्प 50 पैसे का लगाया गया है वह केवल न्यायालय की नकल में लगता था । उस पर जो अंगूठा लगाया गया है वह भी फर्जी लगाया गया है । वसीयत किस व्यक्ति ने लिखी यह किसी भी गवाह व वादिनी ने नहीं कहा । अपीलांट हजारी लाल का छोटा भाई है और उसको वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई और बिना सुनवायी का अवसर दिये ही वादिनी द्वारा अपने पति के खिलाफ वाद पेश कर मिली भगत कर दावा डिक्री करवा लिया है जो अपास्त होने योग्य है । उक्त वादग्रस्त आराजी हजारी लाल के खाते दर्ज थी जिस पर वे अपने जीवनकाल तक काबिज काश्त रहे । हजारी ला अपीलांट के बड़े भाई थे तथा उन्होंने अपने जीवनकाल में कोई शादी नहीं की और हजारी लाल अपीलांट के पास ही निवास करते थे । अपीलांट ने ही हजारी की सेवा सुश्रूषा की । हजारी की मृत्यु दिनांक 6.03.1988 को ग्राम पायली में हो गयी जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया । विवादित आराजी अपीलांट के बडे भाई के खाते की भूमि है जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त वर्ष 1988 से लगातार चला आ रहा है । किन्तु रेस्पोडेंटगण जो आपस में पत्नी, पति व पुत्र हैं मिलकर मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज वसीयत व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मात्र 4 माह दावा डिक्री करवा लिया । उक्त निर्णय व डिक्री अपीलांट के हितों के खिलाफ व प्रभावशून्य है और उक्त निर्णय व डिक्री से अपीलांट के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और रेस्पोडेंट अपीलांट को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2020 अपास्त किया जावे ।

([illegible])
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में माता व बच्चे बच्ची पक्षकार नहीं है । अन्य लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया । घर में दावा डिक्री करवा लिया । मृतक हमारे ताऊ जी थे इनका दाह संस्कार हमने ही किया । हम राजपूत हैं । वादी प्रतिवादी महाजन हैं । वसीयत 50 रूपये के स्टाम्प पर ही गई है जो अनरजिस्टर्ड है । ग्राम पंचायत का लेटर पेड भी है हमें ही गोद लिया है । वसीयत में मृत्यु की दिनांक 8.11.1988 है जबकि मृत्यु 06.03.1988 को हुई है हमने मृत्यु प्रमाण पत्र सलंगन किया है । मौके पर अपीलांट ही काबिज है । इनका वादग्रस्त आराजी में कोई हित निहित नहीं है । हमने पार्टी बनने का प्रार्थना नपत्र भी लगाया हुआ है जो खारिज कर दिया हमें पक्षकार नहीं बनाया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि हमने रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय में इकबालिया जवाब दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने उसी के आधार पर दावा डिक्री किया जो सही है । मूलतः वादगस्त आराजी सुशीला बाई के खाते की थी हजारी लाल नौकरी करता था । सुशीला बाई ने दान पत्र के जरिये हजारी लाल के खाते में कर दी । हजारी लाल ने वृद्धावस्था में वसीयत हमारे नाम की । वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री किया है । जसवन्त सिंह अपीलांट का हजारी से कोई सम्बन्ध नहीं

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

है । आर्डर 9 नियम 13 व और 1 नियम 10 की रेवेन्यु बोर्ड में निगरानी नहीं की और अपील आर एए में पेश कर दी । अपीलांट हजारी के भाई का लडका बनकर आया है । आर्डर 9 नियम 13 गोद पुत्र के आधार पर पेश किया । जबकि अपील में गोद पुत्र का हवाला नहीं है जसवन्त के पिता का नाम जगदीश है। हजारी लाल के पिता का नाम विजयपाल तो भ्राता कैसे हुए । ये वादग्रस्त आराजी के उत्तराधिकारी बन रहे हैं । उत्तराधिकार का नियम वसीयतनामा के कैंसिल होने पर लागू होगा जब तक वसीयत रहेगी तब तक उत्तराधिकार लागू नहीं होगा । अतः ये उत्तराधिकार के आधार पर पार्टी नहीं बन सकते । 32 साल बाद आज तक इन्होंने आराजी के बारे में कार्यवाही क्यों नहीं की । हजारी लाल हमारे पास रहता था इनका कोई सम्बन्ध था तो ये दस्तावेज पेश करते । ये प्रभावित पक्षकार किसी भी तरह से नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे । अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2020 (1) पेज 271, आर आर टी 2006–07 पेज 277, आर आर टी 2012 (2) पेज 1412, आर आर टी 2007(1) पेज 723, आर आर डी 1992 पेज 638, 2016 (1) सी जे (सिविल) पेज 71 एच सी उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट किया है कि वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व वादीनी रेस्पोडेंट सं. 1 सुशीला कुमारी पत्नी महेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी खानपुर के नाम थी और हजारीलाल जाति राव राजपूत की शादी के लिए वादिनी ने अपने खाते की वादग्रस्त आराजी जरिये दानपत्र हजारी लाल के खाते दर्ज

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

कराई। खातेदार हजारीलाल आजीवन परिवार के सदस्य के रूप में वादिनी के पास ही रहा तथा हजारी लाल का देहान्त लाऔलाद हो गया था। खातेदार हजारीलाल ने वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 23–05–87 को वादनी सुशीला कुमारी के पक्ष में निष्पादित की। इस प्रकार वादनी ने अपने वाद को लिखित व मौखिक रूप से साबित कराया है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या 1 को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते। जहां तक अपीलांट द्वारा वसीयत को फर्जी बताने का प्रश्न है यह तय करना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। यह सिविल न्यायालय से तय होगा। अपीलांट ने मृतक हजारीलाल को बडा भाई बताया तथा हजारीलाल की सेवा करना व हजारीलाल का दाह संस्कार करना व हजारीलाल की मृत्यु के बाद पगडी बांधना बताया है तथा वारिस होना बताया है। अपील में अपीलांट ने अपने पिता का नाम जगदीश बताया व हजारीलाल के पिता का नाम विजयपाल था तो अपीलांट हजारीलाल का भाई कैसे हुआ, सिद्व नहीं होता। उत्तराधिकार का नियम वसीयतनामा निरस्त होने पर लागू होगा। अतः अपीलांट उत्तराधिकार के आधार पर भी पार्टी नहीं बन सकते। उत्तराधिकार भी सिविल न्यायालय तय करेगा। नजीर आर. आर.टी. 2007(1)723, आर.आर.टी. 2012(2) पृष्ठ सं. 412, आर.आर.टी. 2006–07(1) पृष्ठ सं. 277 की नजीरे चस्पा होती है अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। जिसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2020 यथावत रखा जाता है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– जसवन्त पुत्र जगदीश, जाति राव, निवासी पायली, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

..... अपीलांट

बनाम

1– सुशीला कुमारी पत्नी स्व0 महेन्द्र कुमार, जाति महाजन, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर जिला झालावाड

2– विरेन्द्र कुमार आत्मज स्व0 महेन्द्र कुमार, जाति महाजन, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर जिला झालावाड

3– प्रतिभा कुमारी पुत्री स्व0 महेन्द्र कुमार जाति महाजन, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसील खानपुर जिला झालावाड़

..... रेस्पोडेंट

अपील नं. 54/2020 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, खानपुर

भू.द.नं0 842/दावा/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक – 23.07.2020

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 11 माह 01 सन् 2021

हाजरी श्री पंकज मिश्रा एवं श्री रघुवीर यादव अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं श्री सी पी खण्डेलवाल एवं श्री ए के जैन अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2020 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 19 माह 01 सन् 2021 को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज.)